



❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖



पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

प्रमाण पत्र

NAME OF PROJECT- "Construction of road from NH-8 KM stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil- Viratnagar, Dist.- Jaipur (Raj.)"

PROPOSAL NO. - FP/RJ/ROAD/144437/2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपलब्ध अभिलेखों से मिलान कर एवं कार्यस्थल के निरीक्षण उपरान्त संतुष्टि पूर्वक सुनिश्चित कर लिया गया है कि:-

1. वन भूमि प्रत्यावर्तन से संबंधित प्रकरण में सम्मिलित समस्त वन भूमि एवं डीमंड वन क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया गया है एवं प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में मानचित्र में अकिंत सीमाएं सही हैं।
2. यह कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि में यूजर ऐजेन्सी के द्वारा नक्शों के सेगमेंट नम्बर 1, 2 व 5 में क्रमशः 28 मीटर, 30 मीटर व 54 मीटर में रोड बना दी गई हैं। उक्त प्रकरण में सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड पावटा जयपुर द्वारा उल्लंघन करने पर कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, पावटा द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 में एफ.आई.आर. संख्या 218-042 दिनांक 25.06.2021 दर्ज की गई थी। जिसका निस्तारण जय रवन्ना बुक नंबर 154 पेज नंबर 34 से किया गया है। जिसके डी.डी. नंबर 001296 दिनांक 6.03.2022 द्वारा जुर्माना राशि 11259/- अक्षरे ग्यारह हजार दो सौ उनसाठ रुपये वसूल किये गये हैं।
3. यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित कोई वाद सिविल अथवा आपराधिक किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है और संदर्भित भूमि से संबंधित समस्त न्यायालयों के आदेशों की पालना सुनिश्चित कर ली गयी है।


(सुदीप कौर)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)